

**न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्य.वाद कं.-106ए/2014
प्रस्तुति दिनांक-10.11.2014

मूलचंद सोनी पिता मोतीलाल सोनी, आयु 65 वर्ष, जाति सुनार,
निवासी-गढ़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.
बनाम

— — — — — वादी

- 1-उमाशंकर पिता मूलचंद, उम्र 30 वर्ष, जाति सुनार
निवासी-गढ़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.
- 2-विजय पिता मूलचंद, उम्र 32 वर्ष, जाति सुनार
निवासी-गढ़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.
- 3-रमाशंकर पिता मूलचंद, उम्र 25 वर्ष, जाति सुनार
निवासी-गढ़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.
- 4-लिलाधर पिता मूलचंद, उम्र 28 वर्ष, जाति सुनार
निवासी-गढ़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.
- 5-शांतिबाई पति मूलचंद, उम्र 55 वर्ष, जाति सुनार
निवासी-गढ़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.
- 6-म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट

— — — — — प्रतिवादीगण

आदेश

दिनांक-18/02/2015 को पारित

- 1- इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर 1) का साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं।
- 3- वादी का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के स्वत्व व आधिपत्य की मौजा गढ़ी प.ह.नं. 15, रा.नि.मं. गढ़ी में स्थित खसरा नंबर 114/1, रकबा 1.424 हेक्टेअर भूमि है। उक्त विवादित भूमि वादी के पिता के द्वारा क्रय की गई है। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 उसके पुत्रगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 5 उसकी पत्नी है। वादी

को प्रतिवादीगण के द्वारा वर्ष 1994-95 से घर से निकाल दिया था, तब से वह विवादित भूमि पर काबिज काश्त होकर अपना भरण-पोषण कर रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 के द्वारा अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। वादी को विवादित भूमि पर लगाई गई फसल को काटने नहीं दिया जा रहा है और प्रतिवादीगण डरा-धमकाकर वादी की फसल काटने की तैयारी कर रहे हैं। अतएव विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु वाद के निराकरण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

4- प्रतिवादीगण ने उक्त आवेदन पत्र के अभिवचन से इंकार करते हुए जवाब में व्यक्त किया है कि विवादित भूमि पर वादी के द्वारा विगत कई वर्षों से खेती नहीं की गई है और वर्तमान में भी उसने कोई फसल नहीं लगाई है। विवादित भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 5 ने पैतृक संपत्ति की अर्जित आय से वादी के नाम से क़य की थी, जिस पर सभी का हक निहित है। वादी ने असत्य कथन करके यह आवेदन पेश किया है। अतएव वादी का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

5- प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 6 अर्निवाहित है।

6- **आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु हैं:-**

- 1- क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है?
- 3- क्या वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से उसे अपूर्ण क्षति होना संभावित है।

: : विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण : :

7- वादी ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि के राजस्व नक्शा, खसरा फार्म की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। उक्त दस्तावेज से विवादित भूमि पर वादी का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है। वादी ने आवेदन के समर्थन में उमाशंकर, गजानंद के शपथपत्र पेश किये हैं, जिन्होंने शपथपत्र में कथन किये हैं कि वादी का उसके परिवार के सदस्यों द्वारा परित्याग करने के पश्चात् वह विवादित भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है तथा उसकी लगाई गई फसल को प्रतिवादीगण द्वारा काटने की धमकी दी जा रही है। उक्त के खण्डन में वादी पक्ष की ओर से कोई शपथपत्र पेश नहीं किया गया है। प्रथमदृष्टया

विवादित भूमि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की होना प्रकट होती है, जिस पर प्रतिवादीगण का कोई हक होने के संबंध में दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। उभयपक्ष के अभिवचन, शपथपत्र के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 के द्वारा वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी दशा में वादी का मामला प्रथमदृष्ट्या उसके पक्ष में बनता है।

8— प्रकरण में विवादित भूमि पर वादी ने फसल लगाया जाकर काबिज काशत होना प्रकट किया है, ऐसी दशा में उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप किये जाने तथा उसकी फसल प्रतिवादीगण के द्वारा काटे जाने से वादी को तुलनात्मक रूप से असुविधा होने की संभावना है तथा वादी को आधिपत्य विहीन किये जाने पर वादी को अपूर्ण क्षति होना भी संभावित है। अतएव विचारणीय बिन्दू क्रमांक 1 से 3 वादी के पक्ष में पाए जाते हैं।

9— उपरोक्त सभी कारणों से वादी का आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर 1) स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 को वाद के निराकरण तक अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से निषेधित किया जाता है कि वे स्वयं अथवा अन्य के माध्यम से वादी के आधिपत्य वाली विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

10— इस आदेश का वाद के गुणदोषों पर निराकरण में कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर